उत्तराखण्ड पर्यावरण सरंक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115 नेहरू कालोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड)

यू0ई0पी0पी0सी0बी0 / एच0ओ0 / सा0 103 / 14वीं बैठक / 2011.
3805-481 अगस्त 5 2011

सेवा में

1.मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्र0), बोर्ड मुख्यालय
2.पर्यावरण अधिकारी, बोर्ड मुख्यालय
3.वैज्ञानिक अधिकारी, बोर्ड मुख्यालय
4..क्षेत्रीय अधिकारी, देहरादून
5..क्षेत्रीय अधिकारी, हल्द्वानी

विषयः बोर्ड के 14वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है की बोर्ड की 14वीं बैठक दिनांक जून 02, 2011 में निम्न निर्णय लियें गये।

1. उद्योग को ऑन लाइन संयुक्त सहमति निर्गत किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है तथा बोर्ड की 11वीं बैठक दिनांक 21.10.2009 में लिये गये निर्णय के अनुसार लाल श्रेणी एवं दूर वेली क्षेत्र के उद्योगों को एक वर्ष, नारंगी श्रेणी के उद्योगों को तीन वर्ष एवं हरी श्रेणी के उद्योगों को पांच वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त सहमति / प्राधिकार संबंधित वर्षो का शुल्क प्राप्त करते हुए निर्गत किये जोने की कार्यवाही प्रारंभ करने की सहमति व्यक्त की गई है।

2. बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया कि परियोजनाओं की लोक सुनवाई हेतु प्रति सुनवाई रू. 75000/– पिच्चतर हजार रूपये का शुल्क देय होगा। यदि किसी कारण सुनवाई पुनः कराई जाती है तो पुनः शुल्क लिया जायेगा।

कृपया बोर्ड बैठक के उपरोक्त निर्णयो के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(सुदर्शन एस पाल) 5.8.11
वैज्ञानिक अधिकारी / प्रशासन प्रभारी

प्रतिलिपि

1. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण सरंक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री अमित दुम्का, सहायक प्रोगामर उत्तराखण्ड पर्यावरण सरंक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित की कृपया ऑन लाइन प्रकिया में उपरोक्त निर्णयों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करना चाहें तथा उक्त निर्णयों को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड करना चाहें।

वैज्ञानिक अधिकारी / प्रशासन प्रभारी 5.8.11

9